न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : **09/2018**

GCMS No. : **2018/00007**

–:: वादीगण ::– **बनाम** **–:: प्रतिवादीगण ::–**

1. बाबुलाल पुत्र श्री चिमनाराम
2. नेमाराम पुत्र श्री चिमनाराम
3. देवाराम पुत्र श्री चिमनाराम
   जातियान– बावरी, निवासीगण–
   धूलकोट, तहसील– रायपुर,
   जिला पाली राज0।

बनाम

1. पुष्पादेवी पत्नी श्री सुखाराम,
   कौम– सरगरा, निवासी– जैतारण,
   तहसील– जैतारण, जिला पाली,
   राजस्थान।
2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी
   महोदय, जैतारण, तहसील– जैतारण,
   जिला– पाली, राजस्थान।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:. 09/01/2018**

उपस्थितः. 1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राजूनाथ चौलावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 22/02/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा निमाज–1, पटवार हल्का निमाज–1, अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज, तहसील जैतारण में खरीदसुदा खातेदारी का काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1061, रकबा 08–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल में 04–00 बीघा भूमि वादीगण की कब्जे काश्त की आई हुई है जो सड़क सीमा 0 से 100 मीटर के ऐरिये में स्थित है तथा नकल जमाबन्दी व नक्शे की प्रमाणित प्रति तथा पंजीबद्ध बेचान दिनांक 29.12.2015 की फोटो प्रति दावे के पेश की जा रही है जिसे दावे का एक भाग माना जावे। उक्त भूमि पर वादीगण वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहते है एवं बैंक से ऋण लेना चाहते है दिनांक 03.01.2018 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को जमीन के खरीद अनुसार बंटवाड़ा करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट तौर से मना कर दिया व ऐलानिया कहा [illegible] नाम की जमीन है मै और किसी को बेच दूंगी। इसलिए यह वाद बंटवाड़ा का [illegible] के समक्ष प्रस्तुत है।यदि प्रतिवादिया अपने नापाक इरादों में सफल [illegible] है तो वादीगण को साम्पैतिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के [illegible]वानी व फौजदारी मु[illegible] करने पड़ेगे जिससे वादीगण जेरबार हो जायेगे। जिसकी पूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। इसलिए यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इनके विरूद्ध दावा करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का होने से यह वाद बिना नोटिस दिये ही पेश किया जा रहा है न्यायालय की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। विनाय दावा दिनांक 03.01.2018 को प्रतिवादिया द्वारा उक्त भूमि बेचने की ऐलानिया धमकी देने पर तथा उक्त भूमि को बंटवाड़ा करवाने से मना करने से व अजनबी क्रेता को उक्त भूमि बेचान करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम निमाज पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली तलबी का पेश होने से पत्रावली आज पेश हुई व वकालतनामा पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 मय अधिवक्ता तहरीरी राजीनामा पेश किया, राजीनामा में व्यक्त किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य समझाइस से राजीनामा हो गया है। माफिक वाद इस्तदूआं वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। वकुलाय उभयपक्ष बहस हेतु तैयार होने से बहस सुनी गई। वकुलाय उभयपक्ष ने जाहिर किया कि मुताबिक राजस्व रेकर्ड वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के विभाजन हेतु वाद प्रा. डिक्री किया जाने की इस्तदूआं की।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी संवत् 2073-76 का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी संवत् 2073-2076 मौजा निमाज- प्रथम, पटवार हल्का प्रथम में स्थित खसरा नम्बर 1061 रकबा 08-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल, के रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसका वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा चाहते है, लिहाजा माफिक राजस्व रेकर्ड वादी का वाद प्राथमिक डिकी किया जाकर बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि राजस्व मौजा निमाज-प्रथम, पटवार हल्का निमाज-प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज, तहसील- जैतारण जिला- पाली(राज0) में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1061 रकबा 08-07 किस्म बारानी अव्वल में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर [illegible] नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा [illegible] किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/892 दिनांक 26/10/2020 द्वारा आदे[illegible] किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/373 दिनांक 05/02/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा निमाज–प्रथम, पटवार हल्का निमाज–प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज, तहसील– जैतारण जिला– पाली(राज0) में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1061 रकबा 08–07 किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म
1	बाबूलाल, नेमाराम, देवाराम पि. चिमनाराम कौम बावरी सा. घूलकोट तहसील– रायपुर खातेदार	1061/2	04-00	बारानी अव्वल
2	भुण्डाराम पुत्र भीकाराम कौम मेघवाल सा0 मोहराई खातेदार	1061/1	04-00	बारानी अव्वल
3	पुष्पा देवी पत्नी सुखाराम कौम सरगरा सा0 जैतारण खातेदार	1061	0-07	बारानी अव्वल
	योग	**3**	**08-07**	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 22/02/2021 को सुनाया जाकर लिखाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादीगण ::– **बनाम** **–:: प्रतिवादीगण ::–**

4. बाबुलाल पुत्र श्री चिमनाराम
5. नेमाराम पुत्र श्री चिमनाराम
6. देवाराम पुत्र श्री चिमनाराम
जातियान– बावरी, निवासीगण– धूलकोट, तहसील– रायपुर, जिला पाली राज0।

3. पुष्पादेवी पत्नी श्री सुखाराम, कौम– सरगरा, निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला पाली, राजस्थान।
4. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी महोदय, जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राजस्थान।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 09/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री श्याम लाल तंवर, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री राजूनाथ चौलावत अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा निमाज–प्रथम, पटवार हल्का निमाज–प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज, तहसील– जैतारण जिला– पाली(राज0) में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1061 रकबा 08–07 किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म
1	बाबूलाल, नेमाराम, देवाराम पि. चिमनाराम कौम बावरी सा. घूलकोट तहसील– रायपुर खातेदार	1061/2	04-00	बारानी अव्वल
2	भुण्डाराम पुत्र भीकाराम कौम मेघवाल सा0 मोहराई खातेदार	1061/1	04-00	बारानी अव्वल
3	पुष्पा देवी पत्नी सुखाराम कौम सरगरा सा0 जैतारण खातेदार	1061	0-07	बारानी अव्वल
	योग		08-07	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:36 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बँटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22/02/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	7-00	मिजानः–	01-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:36 IST
Reason: SelfAttested